म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान–भवन, जेल रोड, भोपाल

कमांक/बोर्ड/स्वी/2-1/पार्ट-2/ 1424 भोपाल, दिनांक 25-/07/2023

प्रति,

सचिव, **(समस्त)**
कृषि उपज मण्डी समिति,
.... जिला .... (म.प्र.)

विषयः- कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रांगण में साफ-सफाई की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु ठेकेदार/एजेन्सी नियुक्त किये जाने के संबंध में।

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्यालयीन पत्र कमांक/बोर्ड/स्वी/35-1/पार्ट-3/146 -147 दिनांक 20.6.2018 द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों के भवन/प्रांगण/परिसर की साफ-सफाई हेतु ठेकेदार/एजेन्सी को नियुक्त करने के संबंध में ठेके की प्रमुख शर्तो का निर्धारण किया गया था। उक्त जारी दिशा निर्देशों को अधिकमित करते हुये तथा मध्य प्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उघम विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी किये गये नियम कमांक एफ 9-20/2020-21/ अ-73 दिनांक 13.01.2023 के भाग-2 (सेवाओं का उपार्जन) अनुसार साफ-सफाई हेतु ठेकेदार को नियुक्त करने के संबंध में ठेके की प्रमुख शर्ते निर्धारित की जाकर निर्देश एवं स्वीकृति के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही निर्धारित की जाती हैः-

01. मण्डी समितियों में साफ सफाई के कार्य हेतु वर्ष 2018 में स्वीकृति के अधिकार नियत किये गये थे, आदेश जारी होने के लगभग साढे चार वर्ष के अवधि में मानव संसाधन तथा साफ-सफाई कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की दरों में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये राशि रूपयें 50,000/- प्रतिमाह व्यय तक के ठेके की स्वीकृति हेतु कृषि उपज मण्डी समिति स्वंय सक्षम होगी। इससे अधिक राशि रूपयें 1,00,000/- तक प्रतिमाह के ठेके की स्वीकृति हेतु अपर/संयुक्त/उपसंचालक आंचलिक कार्यालय सक्षम होगे तथा इसके अधिक होने पर मुख्यालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की जावेगी। मुख्यालय को भेजे जाने वाले प्रस्ताव आंचलिक कार्यालय के माध्यम से (जिस पर अपर/संयुक्त/उप संचालक का स्पष्ट अभिमत/अनुशंसा उपरांत) भेजे जावेगे।

    सर्वप्रथम मण्डी समितियों द्वारा पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में चेकलिस्ट का पालन करते हुये प्राक्कलन तैयार किया जावेगा एवं प्राक्कलन अनुमोदन/स्वीकृत होने के उपरांत ही निविदा आदि की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। प्राक्कलन अनुमोदन/स्वीकृत होने के उपरांत पुनः निविदा आदि की, कि गई कार्यवाही के अनुमोदन/स्वीकृति की आवश्यकता नही होगी। निविदा में प्राप्त दर के आधार पर मण्डी समिति अपने स्तर से कार्यादेश जारी कर सकेगी।

9

02 कृषि उपज मण्डी समितियों के भवन/प्रांगण/परिसर की साफ-सफाई के लिये लगने वाले सफाई कर्मियों के संबंध में आकलन किया जावे कि अनाज मण्डी तथा फल सब्जी मण्डी प्रांगण का पृथक-पृथक आकलन करते हुये शौचालयों में प्रति स्क्वेयर फीट/मीटर पॉली के हिसाब से कितने सफाई कर्मियों की आवश्यकता होगी। मण्डी कार्यालय का तथा जहां आवश्यक हो शौचालय का पृथक आकलन करे। साथ ही प्रांगणों की संख्या, प्रांगणों का कुल एरिया तथा प्रत्येक प्रांगणों से विगत 03 वर्षो में कितना मण्डी शुल्क प्राप्त हुआ है, का आकलन करते हुये, अनाज मण्डी तथा फल सब्जी मण्डी प्रांगणों से कितना वेस्टेज निकलेगा तथा उससे प्राप्त आय के आधार पर बजटीय प्रावधान के अन्तर्गत आंकलन कर मण्डी सचिव तथा मण्डी के उप-यंत्री द्वारा संयुक्त तौर पर प्रस्ताव बनाया जावेगा।

पूर्व वर्षो में सफाई कर्मी/सामग्री आकलन में किये गये किसी भी प्रकार के अधिक व्यय होने पर उसके संबंध में औचित्य स्पष्ट किया जाना होगा। आकलित प्रस्ताव में पूर्व वर्षो के आकलन से किसी प्रकार की वृद्धि होने पर प्रबंध संचालक के अनुमोदन के उपरांत ही निविदा कार्यवाही की जावेगी।

03. साफ सफाई की आवश्यकता हेतु सामग्री का विवरण जिसमें न्यूनतम सामग्री का भी आकलन करेगे।

04. इस प्रकार साफ सफाई हेतु सफाई कर्मियों, सामग्री तथा आवश्यक होने पर परिवहन पर लगने वाले व्यय के आधार पर बिन्दु कमांक-01 को दृष्टिगत रखते हुये एकजाई प्राक्कलन तैयार कर प्रस्ताव आंचलिक कार्यालय को प्रेषित किया जावेगा। संयुक्त/उपसंचालक आंचलिक कार्यालयों द्वारा मण्डी समिति से प्राप्त प्रस्ताव एवं प्राक्कलन का सुक्ष्म परीक्षण कर आवश्यक होने पर संशोधन करने के निर्देश संबंधित मण्डी समिति को दे सकेगे अथवा प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन करेगे। परीक्षण करते समय मण्डी में पूर्व 03 वर्षो में साफ सफाई की क्या दर रही है, लगाये गये कर्मी तथा सामग्री पर व्यय का भी ध्यान रखेगे। प्रस्ताव में किसी प्रकार की वृद्धि होने पर, परीक्षण कर स्पष्ट अभिमत के साथ अनुशंसा करेगे।

05. उपरोक्तानुसार आंचलिक कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्राप्त प्राक्कलन के अनुसार निविदा की कार्यवाही की जावे।

06. कार्य या सेवा का अनुमानित मूल्य एक वर्ष में रूपयें 5.00 लाख से अधिक होने पर मध्य प्रदेश भण्डार कय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित-2022) दिनांक 13.01.2023 अनुसार खुली निविदा जेम अथवा www.mptenders.gov.in पर आमंत्रित की जावे। इस हेतु व्यापक रूप से परिचालित 01 राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में संक्षिप्त विज्ञापन 21 दिवस पूर्व जारी कर आमंत्रित की जावे। निविदा का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जावे।

07. निविदा टू बिड प्रणाली से मंगाई जावे। तकनीकी बिड के आवश्यक दस्तावेज जो पत्र के साथ प्रपत्र-2 में संलग्न है। वह निविदाकर्ताओं जो तकनीकी निविदा में पात्र है के ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जावेगे। इस तरह खोले गये वित्तीय प्रस्ताव का निविदा की शर्तो अनुसार मूल्यांकन और विश्लेषण कर निविदाकर्ताओं का चयन किया जावेगा। वित्तीय निविदा में ठेकेदार द्वारा साफ सफाई ठेके की प्रतिमाह की तथा प्रतिवर्ष की दरे निविदा प्रपत्र में अंकित की जावेगी। यदि निविदा के आवश्यक दस्तावेज/अभिलेख गलत पाये जाते है तो उसकी दरे नही खोली जावेगी।

08. निविदा में ठेके की अवधि दो वर्ष की रखी जावे। जिसे कार्य संतोषजनक होने पर केवल एक बार एक वर्ष की समय सीमा तक के लिये आपसी सहमती द्वारा बढाया जा सकेगा। साफ-सफाई के कार्य में लापरवाही अथवा समय पर सफाई कार्य नही करने की दशा में अथवा शर्तो का उल्लंघन पाये जाने पर किसी भी समय 15 दिवस का नोटिस देकर ठेका निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा अर्नेस्ट मनी राजसात कर ली जावेगी। जिसमें होने वाले अधिक व्यय या अतिरिक्त व्यय की वसूली संबंधित संस्था/व्यक्ति से की जावेगी।

09. ठेकेदार को प्रांगण/परिसर की सम्पूर्ण साफ-सफाई जिसमें पानी निकासी, कचरा सफाई, भूमिगत नालियों की सफाई, शौचालय एवं मुत्रालय की सफाई, आदि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी नियमित रूप से सुनिश्चित करना होगी।

प्रांगण में साफ-सफाई का कार्य 8-8 घंटे की दो पॉलियों में किया जावेगा, प्रत्येक पॉली में सफाई कर्मियों की संख्या स्पष्ट की जाना होगी।

सफाई कर्मियों के सफाई कार्य हेतु उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में कार्यालय में बायोमेट्रिक पद्धति से उपस्थिति दर्ज की जावेगी।

10. प्रांगण में झाडू, फिनायल, ट्राली तथा परिवहन इत्यादि समग्र आवश्यक व्यवस्था स्वंय ठेकेदार को अपने साधनों से सुनिश्चित करना होगी। निविदा स्वीकृति के समय अनुमानित प्राक्कलन की प्रति भी अनिवार्य रूप से भेजी जावे।

11. ठेकेदार द्वारा साफ-सफाई हेतु स्वंय के स्तर से कामगार (सफाईकर्मी) रखे जावेगे। साफ सफाई कर्मचारियों को नीली समान वर्दी में उपस्थित रहकर ही कार्य करना होगा जो उन्हे ठेकेदार द्वारा प्रदाय की जावेगी। सफाई कर्मियों को समस्त प्रकार के भुगतान नियमानुसार स्वंय ठेकेदार को करने होगे एवं पारिश्रमिक का भुगतान सफाई कर्मियों के बैंक खाते खोले जाकर बैंक के माध्यम से किया जावेगा।

12. मण्डी समिति के भवन/प्रांगणों का निरीक्षण किये जाने के उपरांत गंदगी पाई जाती है तो मण्डी सचिव द्वारा उक्त दिन का पारिश्रमिक ठेकेदार से काटा जाये तथा प्रथम बार में रू. 1,000/- का अर्थदण्ड, द्वितीय बार में पुनरावृत्ति होने पर रू. 2,000/- का अर्थदण्ड तथा तीसरी बार पुनरावृत्ति होने पर रू. 4,000/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाये।इसके पश्चात पुनरावृत्ति होने पर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की जाये।

13. ठेके का आवंटन सक्षम अनुभवी तथा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने वाले एवं न्यूनतम

निविदा प्रस्तुत करने वाले एवं समस्त नियमों का पालन करने वाले ठेकेदार को किया जा सकेगा।

14. ठेके का कार्य किसी भी स्थिति में अन्य व्यक्ति/फर्म को हस्तान्तरण नही होगा तथा ठेके की स्वीकृति राशि के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की राशि का पारिश्रमिक का भुगतान पृथक से नही किया जावेगा।

15. ठेके से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अंतिम निर्णय का अधिकार संबंधित अपर/संयुक्त/उपसंचालक आंचलिक कार्यालयों को रहेगा।

16. मण्डी समितियों के भवन/प्रांगण/परिसर की साफ-सफाई हेतु आमंत्रित निविदा में प्राप्त न्यूनतम निविदा दर का अनुमोदन मण्डी समिति अपनी बैठक में प्राप्त करेगी।

17. ठेकेदार को विधिक प्रावधानों का पालन करना अविार्य होगा।

18. ठेके का विधिवत रूपयें 1000/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध ठेकेदार एवं मण्डी समिति के मध्य निविदा की शर्तो के अनुरूप संपादित करना होगा एवं ठेका स्वीकृत करते समय शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, आदेशों एवं विधियों का पालन भी सुनिश्चित किया जावे। इसे प्राथमिकता दिया जाना होगा।

(गौतम सिंह)
प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/स्वी/2-1/पार्ट-2/ 1425 भोपाल, दिनांक 25/07/2023

<u>प्रतिलिपि:-</u>

(1) मुख्य अभियंता, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।

(2) संयुक्त संचालक (**प्रांगण**) म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।

(3) संयुक्त/उप संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, ... (**समस्त**)। कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बोर्ड/स्वी/35-1/पार्ट-3/146 -147 दिनांक 20.6.2018 द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों के भवन/प्रांगण/परिसर की साफ-सफाई हेतु ठेकेदार/एजेन्सी को नियुक्त करने के संबंध में बिन्दु क्रमांक-01 में दी गई स्वीकृति की पात्रता में कार्यवाही करने में मध्य प्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उघम विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी किये गये नियम क्रमांक एफ 9-20/ 2020-21/ अ-73 दिनांक 13.01.2023 के भाग-2 (सेंवाओं का उपार्जन) अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रांगण में साफ-सफाई कार्य हेतु प्राक्कलन तैयार किये जाने हेतु चेकलिस्ट

<table>
<tr><td>1</td><td>मण्डी समिति का नाम -</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>मण्डी समिति का वर्ग-</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>मण्डी समिति की विगत 03 वर्षो की आय</td><td>
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>आय</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4</td><td>मण्डी समिति का विगत 03 वर्षा का व्यय</td><td>
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>वेतन एवं पेंशन पर व्यय</th><th>निर्माण कार्य को छोडकर अन्य व्यय</th><th>मूलभुत संरचना पर होने वाला व्यय</th><th>कुल व्यय</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5</td><td>प्रांगणों की संख्या एवं विवरण</td><td>
<table>
<tr><th></th><th>प्रांगण का एरिया</th><th>प्रांगण का प्रकार</th></tr>
<tr><td>प्रांगण-1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>प्रांगण-2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>प्रांगण-3</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6</td><td>सफाई कार्य पर विगत 03 वर्षो में किया गया व्यय</td><td>
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>सफाई कर्मियों की संख्या</th><th>सफाई कर्मियों पर व्यय</th><th>सामग्री पर व्यय</th><th>अंतिम निविदा मूल्य</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7</td><td>वर्तमान में प्राप्त अनुमानित निविदा दर</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>प्राक्कलन में वृद्धि का कारण</td><td>कितने प्रांगण है एवं प्रांगणों में कितनी आवक रही है आदि का विस्तृत विवरण</td></tr>
<tr><td>9</td><td>सुलभ शौचालयों की साफ-सफाई की जा रही है।</td><td>हॉ या नही। यदि हॉ तो कितने टायलेट है उसकी संख्या बतायें।</td></tr>
<tr><td>10</td><td>कार्यालयों की साफ-सफाई की जा रही है।</td><td>हॉ या नही</td></tr>
</table>

तकनीकी बिड के आवश्यक दस्तावेज

1	निविदाकार को राज्य शासन के विभाग/उपक्रम, राष्ट्रीयकृत एवं शेडयूल बैको आदि के साफ–सफाई व्यवस्था का न्यूनतम 03 (तीन) वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। निविदाकार को प्रमाण सहित उन संस्थाओं की सत्यापित सूची लगाना होगी जहां वह कार्य कर रही है।
2	निविदाकार को निविदा के साथ आयकर के भुगतान का विगत 03 वर्ष का आयकर विभाग को प्रस्तुत रिटर्न की स्वंय सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
3	एजेन्सी का नगर निगम/नगर पालिक/नगर पंचायत के अन्तर्गत वैद्य पंजीयन/लायसेंस होना अनिवार्य है ।
4	यह कि निविदाकार को निविदा लागत की 10 प्रतिशत राशि की सुरक्षा निधि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी अनुबंध के समय अतिरिक्त रूप से जमा करानी होगीं जिसकी की वैद्यता अवधि अनुबंध समाप्ति के एक वर्ष बाद तक होना अनिवार्य होगी।
5	एजेन्सी का विगत 03 वर्षो का वार्षिक टर्नओव्हर कम से कम 20.00 लाख प्रतिवर्ष होना अनिवार्य है।
6	निविदाकार के पास मान्य कान्ट्रेक्ट लेबर लायसेंस होना अनिवार्य है।